भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2915

दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को उत्तर देने के लिए

आधार योजना पर किया गया व्यय

2915. श्री विजय गोयल:

श्री प्रभात झा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा आधार योजना के तहत अब तक किये गए व्यय और तत्संबंधी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आधार योजना को जा0री रखने का फैसला किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के आगामी लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या आधार योजना के क्रियान्वयन में पूर्व में चिन्हित विसंगतियों को दूर करने के उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - योजना मंत्रालय

तथा रक्षा राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) मौजूदा आधार परियोजना के लिए मार्च, 2017 तक 13363.22 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित था जिसमें से 30 नवम्बर, 2014 तक 5311.60 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। वर्षवार ब्योरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय(करोड़ रूपए में)
	(करोड़ रूपए में)	
2009-10	26.38	26.21
2010-11	273.80	268.41
2011-12	1200.00	1187.50
2012-13	1350.00	1338.72
2013-14	1550.00	1544.44
2014-15	1417.00	946.32 (30 नवम्बर,2014 तक)

(ख) और (ग) सरकार ने यूआईडीएआई को 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार नामांकन का कार्य सौंपा है तथा शेष 12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार नामांकन का काम राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा किया जा रहा है। 2015 तक सबके नामांकन का कार्य पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि आधार नामांकन स्वैच्छिक है तथा यह यह एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं कि आधार परियोजना का कार्यान्वयन सहज तरीक़े से हो। एनपीआर तथा यूआईडीएआई के बीच के इंटरफेस से उत्पन्न मामलों में समन्वय के लिए और ख़ासकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार नामांकन के लिए राज्य आवंटन प्रणाली के अंतर्गत आधार का सृजन सहज तरीक़े से और प्रयास तथा संसाधनों के दुहराव के बगैर हो,एक अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति बनाई गई है।

यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी(एनपीआर) तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) डेटाबेस के बीच किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने की स्थिति में,एनपीआर का डेटाबेस मान्य होगा तथा जहां एनपीआर के लिए डेटा और बायोमीट्रिक्स पहले भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा लिए गए हों, वहां यूआईडीएआई उसे स्वीकार करेगा।

*****